

चौदहवीं
वार्षिक रिपोर्ट

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन
(अप्रैल 1, 2018 से मार्च 31, 2019)

राज्य सूचना आयोग
हिमाचल प्रदेश

क्योंथल कॉम्प्लैक्स
खलिनी, शिमला-171002

दूरभाष : 0177-2620166 2629894 2621529
ई मेल : scic-hp@nic.in
वैबसाइट : sic.hp.gov.in

विषय सूची

अध्याय संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 तथा हि0प्र0 सूचना का अधिकार नियम, 2006	1-7
2.	हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग की भूमिका तथा उत्तरदायित्व	8-12
3.	अधिनियम का कार्यान्वयन (वर्ष 2018-19 के दौरान हिमाचल प्रदेश सूचना आयोग द्वारा अपीलों तथा शिकायतों का निपटान)	13-15
4.	हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग : 2018-19 महत्वपूर्ण आकड़ों की एक झलक	16-18
5.	अधिनियम का कार्यान्वयन (हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2018-19 के दौरान विभिन्न सार्वजनिक प्राधिकरणों के जन सूचना अधिकारियों/ प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा आवेदनों/अपीलों का निपटान)	19-25
6.	पिछले चौदह वर्षों के दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन	26-34
7.	सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग तथा सूचना आयोग द्वारा नई पहल	35-36
8.	अभिमत एवं संस्तुतियां/सिफारिशें	37-43

अध्याय –1

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 तथा हि0प्र0 सूचना का अधिकार नियम, 2006

भारतीय संसद द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, 15 जून 2005 को अधिसूचित किया गया । यह अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ लेकिन इस अधिनियम के कुछ प्रावधान तुरन्त लागू हो गए थे । इन उपबन्धों के अन्तर्गत सूचना आयोगों का गठन करना, जन सूचना अधिकारियों/ सहायक जन सूचना अधिकारियों को नामित करना तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमों को बनाया जाना था । इस अधिनियम का एक व्यापक कार्यक्षेत्र है और इसमें सभी निकाय शामिल हैं। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के समस्त विभाग एवं उपक्रम, पंचायती राज संस्थाएं, शहरी स्थानीय निकाय, सरकार द्वारा गठित, शासित, स्थापित, नियन्त्रित अथवा वित्तपोषित अन्य निकाय जिनमें गैर सरकारी संगठन भी शामिल हैं इस अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं। सभी भारतीय नागरिक इस अधिनियम के अन्तर्गत व्यापक तथा विस्तृत सूचना प्राप्त कर सकते हैं जिसमें केवल बहुत कम ऐसी सूचनाएं हैं जिन्हें न देने का प्रावधान इस अधिनियम में किया गया है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005:

2 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधान निम्न हैं :-

- (i) कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी सरकारी प्राधिकरण से बिना कोई कारण बताए सूचना मांग सकता है ।
- (ii) श्री राज नारायण का उच्चतम न्यायालय में निर्णित मामला तथा न्यायधीशों की न्युक्तियों के मामले से अभिज्ञात हुआ है कि नागरिकों को सूचना प्राप्त करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1) (अ) के अन्तर्गत मौलिक अधिकार में आता है ।
- (iii) अधिनियम की धारा 8, 9 में दी गई छूट के अतिरिक्त बाकि मांगी गई सूचना जन सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रदान करनी होगी ।
- (iv) अधिनियम सभी सरकारी विभागों, निगमों, बोर्डों, स्थानीय शहरी निकायों, पंचायती राज संस्थाओं तथा सरकार द्वारा स्थापित, गठित, नियन्त्रित अथवा वित्तपोषित निकायों पर, लागू होता है जिनमें गैर सरकारी संगठन भी शामिल हैं।

- (v) जन सूचना अधिकारी आवेदकों को सूचना प्रदान करते अथवा आवेदनों को अस्वीकृत करते हुए सकारण पत्र व्यवहार करेंगे । इसी प्रकार अपीलीय अधिकारियों को भी सकारण एवं स्वतः स्पष्ट आदेश पारित किए जाने अपेक्षित होंगे ।
- (vi) सूचना उपलब्ध करवाने के लिए समय ही निष्कर्ष है ।
- (vii) सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा चूक के मामले में दण्ड के द्वारा उतरदायित्व निश्चित होता है ।

3 अधिनियम सार्वजनिक प्राधिकरणों को निम्न कर्तव्य और दायित्व विदित करता है:—

- (i) अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के अनुरूप सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा उनके कार्यो सम्बन्धी विभिन्न पहलुओं पर स्वेच्छा से सूचना का प्रकटीकरण करना होगा जिसे हर वर्ष अद्यतन किया जाना अपेक्षित होगा ।
- (ii) सभी सरकारी विभाग/संस्थान सूचना देने के प्रयोजन से अपेक्षित संख्या में जन सूचना अधिकारियों को नामित करेंगे तथा उपमण्डल स्तर पर आवेदन प्राप्त करने तथा उन्हें जन सूचना अधिकारियों को अग्रेषित करने हेतु सहायक जन सूचना अधिकारियों को नामित करेंगे ।
- (iii) सार्वजनिक प्राधिकरणों को अधिनियम की धारा 19 के अन्तर्गत जन सूचना अधिकारियों के विरुद्ध की गई प्रथम अपीलों पर विचार करने एवं निर्णय देने हेतु अपीलीय अधिकारी नामित करने होंगे ।

4 अधिनियम में 'सूचना', 'अभिलेखों' और 'सूचना का अधिकार' की परिभाषाएं निम्न हैं :-

- (i) "सूचना" से किसी इलैक्ट्रानिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई-मेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लागबुक,संविदा,रिपोर्ट, कागजपत्र, नमूने, माडल, आंकडों संबधी सामग्री और किसी प्राइवेट निकाय से सम्बन्धित ऐसी सूचना सहित,जिस का तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी लोक प्राधिकारी की पहुंच हो सकती है, किसी रूप में कोई सामग्री, अभिप्रेत है ।

- (ii) "अभिलेखों" में निम्नलिखित सम्मिलित है -

(क) कोई दस्तावेज, पाण्डुलिपि और फाइल :

(ख) किसी दस्तावेज की कोई माइक्रोफिल्म,माइक्रोफिशे और प्रतिकृति प्रति:

(ग) ऐसी माइक्रोफिल्म में सन्निविष्ट प्रतिबिम्ब या प्रतिबिम्बों का पुनरुत्पादन (चाहे बर्धित रूप में हो यह न हो) : और

(घ) किसी कम्प्यूटर द्वारा या किसी अन्य युक्ति द्वारा उत्पादित कोई अन्य सामग्री:

(iii) "सूचना का अधिकार" से इस अधिनियम के अधीन पहुंच योग्य सूचना का जो किसी लोक प्राधिकारी द्वारा या उसके नियन्त्रणाधीन धारित है, अधिकार अभिप्रेत है और जिसमें निम्नलिखित का अधिकार सम्मिलित है :

(i) कृति दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण :

(ii) दस्तावेजों या अभिलेखों के टिप्पण उद्धरण या प्रमाणित प्रतिलिपि लेना :

(iii) सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना :

(iv) डिस्कट, फ्लोपी, टेप, वीडियो कैसेट के रूप में या किसी अन्य इलैक्ट्रानिक रीति में यह प्रिंटआउट के माध्यम से सूचना को जहां ऐसी सूचना किसी कम्प्यूटर या किसी अन्य युक्ति में भण्डारित है अभिप्राप्त करना।

5 सूचना का अधिकार अधिनियम में लोक प्राधिकारी की परिभाषा निम्न है :

"लोक प्राधिकारी" से :-

(क) संविधान द्वारा या उसके अधीन :

(ख) संसद द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा :

(ग) राज्य विधान-मण्डल द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा :

(घ) समुचित सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना या किए गए आदेश द्वारा स्थापित या गठित कोई प्राधिकारी या निकाय या स्वायत्त सरकारी संस्था अभिप्रेत है : और इसके अन्तर्गत -

(i) कोई ऐसा निकाय है जो केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन, नियन्त्रणाधीन, या उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा वित्तपोषित है :

(ii) कोई ऐसा गैर-सरकारी संगठन है जो समुचित सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा वित्तपोषित है ।

6. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 22 के उपबंध, शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से अन्यथा किसी

विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखित में उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे।

7. यह अधिनियम, धारा 8 और 9 के अन्तर्गत जिन सूचनाओं को प्रकट किए जाने से छूट प्रदान करता है, उनका संक्षिप्त रूप निम्न प्रकार है:—

- सूचना, जिसके प्रकटन से भारत की प्रभुता और अखण्डता, राज्य की सुरक्षा, रणनीति, वैज्ञानिक या आर्थिक हित, विदेश से सम्बन्ध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो या किसी अपराध को करने का उद्दीपन होता हो ;
- सूचना, जिसके प्रकाशन को किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा अभिव्यक्त रूप से निषिद्ध किया गया है या जिसके प्रकटन से न्यायालय की अवमानना होती है ;
- सूचना, जिसके प्रकटन से संसद् या किसी राज्य के विधानमण्डल के विशेषाधिकार के भंग का कारण होगा ;
- सूचना, जिसमें वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार गोपनीयता या बौद्धिक सम्पदा सम्मिलित है, जिसके प्रकटन से किसी तीसरी पार्टी की प्रतियोगी स्थिति को नुकसान होता है, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का यह मत हो कि ऐसी सूचना के प्रकटन से विस्तृत लोक हित का समर्थन होता है;
- किसी व्यक्ति को उसकी वैश्वासिक नातेदारी में उपलब्ध सूचना, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का यह मत हो कि ऐसी सूचना के प्रकटन से विस्तृत लोक हित का समर्थन होता है ;
- किसी विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना ;
- सूचना जिसको प्रकट करना किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डालेगा या जो विधि प्रवर्तन या सुरक्षा प्रयोजनों के लिए विश्वास में दी गई किसी सूचना या सहायता के स्रोत की पहचान करेगा ;
- सूचना, जिससे अपराधों के अन्वेषण, अपराधियों के पकड़े जाने या अभियोजन की क्रिया में अड़चन पड़ेगी ;
- मन्त्रिमण्डल के कागजपत्र, जिसमें मन्त्रिपरिषद्, सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार विमर्श के अभिलेख सम्मिलित है ;
- सूचना, जो व्यक्तिगत सूचना से सम्बन्धित है, जिसका प्रकटन किसी लोक क्रियाकलाप या हित से सम्बन्ध नहीं रखता है या जिससे व्यक्ति की एकान्तता पर अनावश्यक अतिक्रमण करता है ।

हिमाचल प्रदेश सूचना का अधिकार नियम, 2006 :

8 इस अधिनियम की धारा 27 और 28 के उपबन्धों के प्रभावशाली तथा सुचारु रूप से कार्यान्वयन हेतु नियम बनाने के लिए विनियोजित सरकारों तथा अन्य सक्षम प्राधिकारी को शक्तियां प्रदत्त है। हिमाचल प्रदेश सूचना का अधिकार नियम, 2006, राज्य सरकार द्वारा 21 जनवरी, 2006 को अधिसूचित किए गए। ये नियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त हो गए हैं। परिणामस्वरूप हिमाचल प्रदेश सरकार, हिमाचल प्रदेश विधानसभा तथा हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत नियमों को अधिसूचित किया गया है। हिमाचल विधानसभा सचिवालय सूचना का अधिकार (शुल्क व लागत) नियम, 2006, 15 जून 2006 को तथा हिमाचल प्रदेश उच्चन्यायालय सूचना का अधिकार नियम, 2005, 30 नवम्बर, 2005 को अधिसूचित किए गए। हिमाचल प्रदेश सूचना का अधिकार नियम, 2006, राज्य सरकार द्वारा 21 जनवरी, 2006 को अधिसूचित किए गए।

9 इन नियमों की प्रमुख विशेषताएं निम्न है :-

- (i) कोई भी व्यक्ति जो सूचना प्राप्त करना अथवा रिकार्ड का निरीक्षण करना चाहता है को निर्धारित शुल्क की अदायगी के प्रमाण सहित सम्बन्धित प्राधिकरण के जन सूचना अधिकारी/ सहायक जन सूचना अधिकारी को निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन करना होगा।
- (ii) गरीबी रेखा से नीचे (बी0पी0एल0) श्रेणी के आवेदकों से सूचना प्राप्त करने अथवा किसी अभिलेख के निरीक्षण के लिए किसी भी शुल्क की अदायगी अपेक्षित नहीं है।
- (iii) प्रत्येक विषय तथा प्रत्येक वर्ष से सम्बन्धित सूचना लेने के लिए अलग - अलग आवेदन पत्र दायर किया जाना अपेक्षित है।
- (iv) आवेदक को जारी की गई सूचना के प्रत्येक पृष्ठ पर आवेदक का नाम दर्शाते हुए तथा जन सूचना अधिकारी की मोहर, हस्ताक्षर तथा तिथि सहित, विधिवत् प्रमाणिकृत किया जाएगा।
- (v) दस्तावेजों को प्रदान करने एवं उनके निरीक्षण के हेतु लिए जानेवाले शुल्क की दर नीचे दी गई है :-

क्रम संख्या	सूचना का विवरण	मूल्य/शुल्क रूपयों में
1	आवेदन के साथ शुल्क	10/-रु0 प्रति आवेदन
2	जहां सूचना समूल्य प्रकाशन के रूप में उपलब्ध हो	प्रकाशित मूल्य पर

3	समूल्य प्रकाशनों के अलावा	2/-रु0 प्रति पृष्ठ (ए-4 आकार अथवा कम के लिए) बड़े आकार के पृष्ठ के मामले में, वास्तविक लागत अथवा प्रति पृष्ठ 20/- रु0 जो भी अधिक हो ।
4	जहां सूचना इलैक्ट्रनिक के रूप में उपलब्ध हो और इलैक्ट्रनिक रूप यथा फ्लॉपी, सीडी आदि के रूप में प्रदान की जानी हो	50/-रु0 प्रति फ्लॉपी 100/-रु0 प्रति सीडी
5	रिकार्ड/दस्तावेज के निरीक्षण हेतु	20/- रु0 प्रति 30 मिनट या उसके अंश के लिए

(vi) निर्धारित शुल्क की अदायगी डिमांड ड्राफ्ट या इण्डियन पोस्टल आर्डर द्वारा सम्बन्धित सरकारी प्रधिकरण को की जा सकती है अथवा 0070- ओ0ए0एस0,60 -ओ0एस, 800- ओ0 आर0 11-सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के अन्तर्गत प्राप्तियां लेखा शीर्ष में सरकारी खजाने में जमा करवाया जा सकता है ।

10 हिमाचल प्रदेश सूचना का अधिकार नियम, 2006 के तहत नामित अपीलीय अधिकारी तथा हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग में अपील दायर करने की प्रक्रिया का भी उल्लेख किया गया है । इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार अपील के ज्ञापन में अपीलकर्ता का नाम व पता, उस जन सूचना अधिकारी का नाम व पता जिसके निर्णय के विरुद्ध अपील की जा रही हो तथा आदेश का विवरण जिसके विरुद्ध अपील की जा रही हो, दिया जाना होगा । अपीलकर्ता को अपील की दो प्रतियां दायर करनी होंगी । अपील ज्ञापन में अपील के सम्बन्ध में संक्षेप में तथ्य दिए जाने होंगे । आवेदन का जवाब न मिलने की स्थिति में आवेदन का विवरण, संख्या व तिथि, राज्य जन सूचना अधिकारी का नाम व पता जिसे आवेदन दिया गया था का उल्लेख अपीलकर्ता द्वारा किया जाना होगा । अपीलकर्ता अपनी याचना अथवा राहत का उल्लेख तथा याचना व राहत के आधार भी अपील ज्ञापन में स्पष्ट उल्लेख करेगा ।

11 हिमाचल प्रदेश सूचना का अधिकार नियम, 2006 के नियम 6(5) के तहत नामित अपीलीय अधिकारी या हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग को यह भी शक्ति होगी कि यदि सुनवाई की तिथि पर अपीलकर्ता व्यक्तिगत रूप में उपस्थित नहीं होता है तो वे गुणदोष के आधार पर अपील पर निर्णय दे सकते हैं । अपीलकर्ता किसी ऐसे आधार पर न तो कोई आपत्ति उठाएगा और न ही उसकी आपत्ति सुनी जाएगी, जिसका उल्लेख उस द्वारा अपील अधिकारी/आयोग को प्रस्तुत अपील ज्ञापन में न किया गया हो । तथापि नामित अपील

अधिकारी/ आयोग को अपील पर निर्णय लेते समय उन्हीं आधारों तक सीमित रहने की आवश्यकता नहीं जिनका उल्लेख अपील में किया गया हो ।

12 हिमाचल प्रदेश सूचना का अधिकार नियम, 2006 के तहत राज्य सूचना आयोग को अपनी दिन-प्रतिदिन की कार्यवाही के सम्बन्ध में विनियम बनाने की शक्तियां भी प्रदत्त हैं। परिणामस्वरूप, हिमाचल प्रदेश राज्य मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग (प्रबन्धन) विनियम, 2008 बनाए गए हैं जो 1 सितम्बर, 2008 से लागू हो गए थे ।

13 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25 (4) के अधीन प्रदेश सूचना आयोग को अधिकृत किया गया है कि वह इस अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन पर प्रत्येक वर्ष एक रिपोर्ट तैयार करे तथा राज्य विधान सभा में प्रस्तुत करने के लिए सरकार को अग्रेषित करें। इस उपबन्ध का अनुसरण करते हुए वर्ष 2017-18 के दौरान हिमाचल प्रदेश में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के क्रियान्वयन की तेरहवीं रिपोर्ट हिमाचल प्रदेश राज्य विधानसभा के समक्ष रखने के लिए हिमाचल प्रदेश सूचना आयोग द्वारा तैयार की गई है।

अध्याय-2

हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग की भूमिका तथा उत्तरदायित्व

हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन राज्य सरकार द्वारा 4 फरवरी, 2006 की अधिसूचना द्वारा किया गया। आयोग ने शिमला स्थित मुख्यालय में 1 मार्च 2006 को श्री पी० एस० राणा के राज्य मुख्य सूचना आयुक्त का पद ग्रहण करने के पश्चात कार्य करना आरम्भ किया। सचिवालय प्रशासन ने 1 मार्च 2006 से आयोग को सचिवीय स्टाफ और अन्य सुविधाएं प्रदान की हैं। आयोग ने एक सदस्यीय निकाय के रूप में 1 जुलाई, 2007 तक कार्य किया और तदपश्चात श्री एस.एस.परमार ने 2 जुलाई, 2007 को राज्य सूचना आयुक्त का पद ग्रहण किया। निवर्तमान व वर्तमान राज्य मुख्य सूचना आयुक्तों एवं राज्य सूचना आयुक्तों का विवरण निम्न प्रकार से है :

राज्य मुख्य सूचना आयुक्त			
क्रम संख्या	नाम	नियुक्ति की तिथि	सेवानिवृति की तिथि
1.	श्री प्रेम सिंह राणा भा०प्र०से० (रि०)	01.03.2006	28.02.2011
2.	श्री भीम सेन भा०प्र०से० (रि०)	25.03.2011	23.03.2016
3.	श्री नरेन्द्र चौहान भा०प्र०से० (रि०)	30.06.2017	-----
राज्य सूचना आयुक्त			
1.	श्री सुरजीत सिंह परमार भा०प्र०से० (रि०)	02.07.2007	05.06.2012
2.	श्री काली दास बातिश	08.06.2012	07.06.2017
3.	श्री सुशील चंद्र श्रीवास्तव भा०व०से० (रि०)	30.06.2017	-----

2 आयोग को वित्त वर्ष 2018-19 में मु० 2,33,68,000/- का बजट शीर्ष 2070-00-118-01-SOON(NP) के अन्तर्गत खर्चों को पूरा करने के लिए प्रदान किया गया। स्वीकृत बजट का विवरण निम्न प्रकार से है :-

लेखा शीर्ष	उपशीर्ष	बजट	व्यय
01	वेतन	14749000	14749938
02	दिहाडी वेतन (Wages)	58000	57960
03	यात्रा व्यय	66000	65432
05	कार्यालय व्यय	568000	568155
06	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	365000	365124
07	किराया, दर एवं उपकर	4440000	4439964
09	विज्ञापन एव प्रचार	3000	2514
10	आतिथ्य / सत्कार	65000	64940
11	साज-सज्जा	174000	174404
12	व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएं	60000	60000
20	अन्य प्रभार	421000	421399
30	मोटर वाहन	1055000	1055232
65	आउटसोर्स कर्मचारी वेतन	1344000	1344330
	कुल	23368000	23369392

3 हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग के कार्य को सुचारु रूप से चलाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा 35 पद सृजित किए गए । इन पदों का विवरण इस प्रकार है :-

क्रमांक	पदनाम	पद का वेतनमान	सृजित पदों की संख्या
1	मुख्य सूचना आयुक्त	2,50,000 / -	1
2	राज्य सूचना आयुक्त	2,25,000 / -	1
3	सचिव (एच0ए0एस0 / आई0ए0एस0)	अपने वेतनमान में	1
4	अनुभाग अधिकारी	15600-39100 + रू0 5400	1
5	निजी सचिव	15600-39100 + रू0 5400	2
6	सिस्टम एनालिस्ट	10300-34800 + रू0 5400	1
7	रीडर कम एहलमद	10300-34800 + रू0 5400	2
8	निजी सहायक	10300-34800 + रू0 4800	4
9	वरिष्ठ सहायक	10300-34800 + रू0 4400	2
10	लिपिक	10300-34800+ रू0 3200	2
11	लिपिक एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर	10300-34800+ रू0 3200	2
12	कनिष्ठ वेतनमान स्टेनोग्राफर	5910-20200 + रू0 2800	4
13	चालक	5910-20200 + रू0 2000	3
14	प्रौसेस सर्वर	4900-10680 + रू0 1400	1
15	चौकीदार	4900-10680 + रू0 1300	1
16	सेवादर	4900-10680 + रू0 1300	5
17	फ्राश कम माली	4900-10680 + रू0 1300	1
18	सफाई कर्मचारी	4900-10680 + रू0 1300	1
	कुल		35

4. राज्य सूचना आयोग की शक्तियाँ और कार्य निम्न प्रकार है :-

I. अधिनियम की धारा 18 के अन्तर्गत जाँच

(i) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राज्य सूचना आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करे और उसकी जाँच करें—

क जो, यथास्थिति, किसी लोक सूचना अधिकारी को इस कारण से अनुरोध प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा है या उसके आवेदन को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया है।

ख जिसे इस अधिनियम के अधीन जानकारी देने से इन्कार कर दिया गया है,

ग जिसे इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर सूचना के लिए या सूचना तक पहुँच के लिए अनुरोध का उत्तर नहीं दिया गया है,

घ जिससे ऐसी फीस की रकम का संदाय करने की अपेक्षा की गई है, जो वह अनुचित समझता है,

ङ जो यह विश्वास करता है कि उसे अपूर्ण, भ्रम में डालने वाली या मिथ्या सूचना दी गई है, और

च इस अधिनियम के अधीन अभिलेखों के लिए अनुरोध करने या उन तक पहुँच प्राप्त करने के लिए संबन्धित किसी अन्य विषय के सम्बन्ध में।

(ii) राज्य सूचना आयोग को इस धारा के अधीन किसी मामले में जाँच करते समय वही शक्तियाँ प्राप्त होंगी, जो निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में सिविल प्रक्रिया 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में निहित होती हैं, अर्थात:-

क व्यक्तियों को समन करना और उन्हें उपस्थित कराना तथा शपथ पर मौखिक या लिखित साक्ष्य देने के लिए दस्तावेज या चीजें पेश करने के लिए उनको विवश करना,

ख दस्तावेजों के प्रकटीकरण और निरीक्षण की अपेक्षा करना,

ग शपथ पत्र पर साक्ष्य को अभिग्रहण करना,

घ किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतियाँ मंगाना,

ङ साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए समन जारी करना, और

च इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी निर्धारित मामले

(iii) आयोग इस अधिनियम के अधीन किसी शिकायत की जाँच करने के दौरान ऐसे किसी अभिलेख की परीक्षा कर सकेगा जिस पर यह अधिनियम लागू होता है और जो लोक प्राधिकारी के नियंत्रण में है और उसके द्वारा ऐसे किसी अभिलेख को किन्हीं भी आधारों पर रोका नहीं जाएगा।

II. अधिनियम की धारा 19 के अन्तर्गत अपीलें:

(i) प्रथम अपीलीय अधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध दूसरी अपील नब्बे दिन के भीतर राज्य सूचना आयोग को होगी, परन्तु राज्य लोक सूचना आयोग 90 दिन की अवधि की समाप्ति

के पश्चात भी अपील को ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय पर अपील दायर करने से पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था।

- (ii) यदि विनिश्चय, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, तीसरी पार्टी की सूचना से संबंधित है तो राज्य सूचना आयोग उस तीसरी पार्टी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा।
- (iii) अपील सम्बन्धी किन्हीं कार्यवाहियों में यह साबित करने का भार कि अनुरोध को अस्वीकार करना न्यायोचित था, लोक सूचना अधिकारी पर जिसने अनुरोध से इन्कार किया था, होगा।
- (iv) राज्य सूचना आयोग का विनिश्चय आबद्धकर होगा।
- (v) राज्य सूचना आयोग को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में यह भी शक्तियां प्रदान की गई हैं कि वह सार्वजनिक प्राधिकरणों से अपने निर्णयों की अनुपालना करवाए। शिकायतकर्ता / अपीलकर्ता का मुआवजा दिलवाने की शक्ति का भी प्रावधान है।

III. अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत शक्ति :

- (i) जहाँ किसी शिकायत या अपील का विनिश्चय करते समय राज्य सूचना आयोग की यह राय है कि राज्य लोक सूचना अधिकारी ने किसी युक्तियुक्त कारण के बिना सूचना के लिए कोई आवेदन प्राप्त करने से इन्कार किया है या सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 7 की उपधारा 1 के अधीन सूचना के लिए विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना नहीं दी है या असदभावपूर्वक सूचना के लिए अनुरोध से इन्कार किया है या जानबूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना दी है या उस सूचना को नष्ट कर दिया है जो अनुरोध का विषय थी या किसी सूचना देने में बाधा डाली है, तो वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जब तक आवेदन प्राप्त किया जाता है या सूचना दी जाती है, 250 रुपये की शास्ति अधिरोपित करेगा, तथापि ऐसी शास्ति की कुल रकम 25,000 रुपये से अधिक नहीं होगी।
- (ii) जहाँ किसी शिकायत या अपील का विनिश्चय करते समय राज्य सूचना आयोग की यह राय है कि राज्य लोक सूचना अधिकारी किसी युक्तियुक्त कारण के बिना और लगातार सूचना के लिए कोई आवेदन प्राप्त करने में असफल रहा है या उसने सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना नहीं दी है या असदभावपूर्वक सूचना के लिए अनुरोध से इन्कार किया है या जानबूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना दी है या ऐसी सूचना को नष्ट कर दिया है जो अनुरोध का विषय थी या किसी सूचना देने में बाधा डाली है वहाँ वह ऐसे लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध उसे लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई के लिए सिफारिश करेगा।

5 हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियां तथा कार्य निम्नलिखित है :-

क्रम संख्या	पदनाम	शक्तियां एवं कार्य
1	राज्य मुख्य सूचना आयुक्त	राज्य सूचना आयोग के कार्यों/गतिविधियों की सामान्य देख-रेख, निर्देशन एवं प्रबन्धन/अपीलों और शिकायतों का निपटान ।
2	राज्य सूचना आयुक्त	अपीलों तथा शिकायतों का संज्ञान तथा उनका निपटान
3	सचिव एवं पंजीयक	आयोग का प्रशासनिक प्रबन्धन, वित्तीय नियन्त्रण तथा राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त/राज्य सूचना आयुक्त की कार्य निपटान में सहायता करना।
4	निजी सचिव राज्य प्रमुख सूचना आयुक्त/ राज्य सूचना आयुक्त	सचिवालय सहायता तथा मुख्य सूचना आयुक्त तथा राज्य सूचना आयुक्त द्वारा प्रदत्त कार्यों का निपटान।
5	रीडर कम एहलमद	आयोग में प्राप्त अपीलों और शिकायतों को प्रक्रिया में लाना तथा मुख्य सूचना आयुक्त/राज्य सूचना आयुक्त द्वारा प्रदत्त कार्य करना।
6	अनुभाग अधिकारी एवं सहायक पंजीयक	आयोग के प्रशासनिक, वित्तीय तथा अन्य कार्यों के निपटान में सचिव एवं पंजीयक की सहायता करना।
7	अधीनस्थ कर्मचारी	आयोग के अधिकारियों की सहायता करना तथा निरीक्षण अधिकारियों द्वारा प्रदत्त कार्य करना।

अध्याय-3


अधिनियम का कार्यान्वयन

(वर्ष 2018-19 के दौरान हिमाचल प्रदेश सूचना आयोग द्वारा अपीलों तथा शिकायतों का निपटान)

वर्ष 2018-19 में हिमाचल प्रदेश सूचना आयोग में 12 जिलों के लोगों तथा राज्य के बाहर से विभिन्न अपीलार्थियों से 455 अपीलें जन सूचना अधिकारियों/प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त हुई थीं। जिसमें से 221 अपीलें 3 जिलों शिमला, कांगड़ा और मण्डी के लोगों द्वारा दायर की गई थी बाकि 234 अपीलें अन्य जिलों के लोगों तथा राज्य के बाहर के लोगों से प्राप्त की गई थी। वर्ष 2018-19 के दौरान प्राप्त 455 अपीलों के अलावा, 416 अपीलें 01.04.2018 को लम्बित पड़ी थीं। आयोग द्वारा प्राप्त अपीलों की जिलावार स्थिति निम्न प्रकार से दर्शायी गई है :-

आयोग में प्राप्त अपीलों का जिलावार विवरण :-

आयोग में प्राप्त अपीलें




2. कुल 871 अपीलों में से, वर्ष के दौरान 605 अपीलों पर निर्णय दिए गए तथा 266 अपीलें 31.03.2019 को निर्णय हेतु लम्बित रही। निर्णित/लम्बित अपीलों का ब्यौरा निम्न सारणी में दिया गया है :-

(i)	वर्ष के दौरान प्राप्त अपीलों का ब्यौरा	
(क)	01.04.2018 को लम्बित अपीलें	416
(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त अपीलें	455
(ग)	वर्ष के दौरान निर्णित अपीलें	605
(घ)	31.03.2019 को लम्बित अपीलें	266

3. वर्ष 2018-19 के दौरान 455 अपीलों के अलावा 63 शिकायतें अधिनियम की धारा 18 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग में प्राप्त हुई। ये शिकायतें प्रदेश के 8 जिलों तथा प्रदेश के बाहर से प्राप्त हुई। इन में से 33 शिकायतें (52 प्रतिशत से अधिक शिकायतें) कांगड़ा शिमला और मण्डी जिला के शिकायतकर्ताओं द्वारा की गई थी। आयोग में प्राप्त शिकायतों का जिलावार वर्ष 2018-19 का ब्यौरा निम्न चार्ट पर दर्शाया गया है।

आयोग में प्राप्त शिकायतों का जिलावार ब्यौरा :-



4. वर्ष के दौरान प्राप्त 63 शिकायतों के अलावा 18 शिकायतें 01.04.2018 को लम्बित थीं। कुल 81 शिकायतों में से 62 शिकायतें वर्ष के दौरान निर्णित की गई तथा 19 शिकायतें 31.03.2019 को निपटान हेतु लम्बित रहीं। प्राप्त निर्णित तथा लम्बित पड़ी शिकायतों का अवधिवार ब्यौरा निम्नलिखित है :-

(i)	वर्ष के दौरान प्राप्त तथा निर्णित शिकायतें	
(क)	01.04.2018 की लम्बित शिकायतें	18

(ख) वर्ष 2018–19 में प्राप्त शिकायतें	63
(ग) वर्ष के दौरान निर्णित शिकायतें	62
(घ) दिनांक 31.03.2019 को लम्बित शिकायतें	19

5. हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग के वर्ष 2018–19 रिपोर्ट के तहत समेकित मामलों का विवरण

	अपीलें	शिकायतें	कुल
1.4.2018 को लम्बित	416	18	434
वर्ष के दौरान दायर	455	63	518
कुल	871	81	952
निर्णित	605	62	667
31.3.2019 को लम्बित	266	19	285


अध्याय-4

हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग : 2018-19 महत्वपूर्ण आकड़ों की एक झलक


(क)	सार्वजनिक प्राधिकरणों की संख्या, जिन्होंने राज्य सूचना आयोग को वार्षिक विवरणी प्रस्तुत की	107
(ख)	1.4.2018 से 31.3.2019 तक सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत विभिन्न सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा दायर किए गए आवेदनों की संख्या	64233
(ग)	सार्वजनिक प्राधिकरणों के सार्वजनिक सूचना अधिकारियों द्वारा अस्वीकृत किए गए आवेदनों की संख्या	515
(घ)	जन सूचना अधिकारियों द्वारा एकत्रित शुल्क तथा अतिरिक्त शुल्क की कुल राशि	1902362
(ङ)	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 के अन्तर्गत वर्ष के दौरान प्रथम अपीलों की दायर करने की संख्या	2197
(च)	(i) वर्ष के दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 के अन्तर्गत राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपीलों की दायर करने की संख्या	455
	(ii) दिनांक 1.4.2018 को आयोग में लम्बित अपीलें	416
	(iii) कुल अपीलें	871
(छ)	वर्ष के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग द्वारा निर्णीत द्वितीय अपीलों की संख्या	605
(ज)	(i) वर्ष के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 18 के अन्तर्गत दायर की गई शिकायतों की संख्या	63
	(ii) दिनांक 1.4.2018 को आयोग में लम्बित शिकायतें	18
	(iii) कुल शिकायतें	81
(झ)	वर्ष के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग द्वारा निर्णीत शिकायतों की संख्या	62

राज्य सूचना आयोग में वर्ष 2018-19 के दौरान प्राप्त, निर्णित तथा लम्बित अपीलों का ब्यौरा

वर्ष 2018-19 के दौरान विभिन्न जिलों से प्राप्त अपीलें




वर्ष 2018-19 के दौरान निर्णित तथा लम्बित अपीलों का ब्यौरा




राज्य सूचना आयोग में वर्ष 2018-19 के दौरान प्राप्त, निर्णित तथा लम्बित शिकायतों का ब्यौरा

वर्ष 2018-19 के दौरान विभिन्न जिलों से प्राप्त शिकायतें



वर्ष 2018-19 के दौरान निर्णित तथा लम्बित शिकायतों का ब्यौरा



अध्याय-5

अधिनियम का कार्यान्वयन हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2018-19 के दौरान विभिन्न सार्वजनिक प्राधिकरणों के जन सूचना अधिकारियों/ प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा आवेदनों/अपीलों का निपटान

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6, 7 व 11 के उपबन्धों के अनुसार सरकारी प्राधिकरणों से यह अपेक्षा रहेगी कि वे इस उद्देश्य के लिए नामित जन सूचना अधिकारी के माध्यम से जन साधारण को उनके द्वारा मांगी गई सूचना निर्धारित अवधि में उपलब्ध करवायें। आयोग द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 107 सार्वजनिक प्राधिकरणों को 64233 आवेदन इस अधिनियम के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए वर्ष 2018-19 के दौरान प्राप्त हुए थे। विभिन्न सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा प्राप्त किए/रद्द किए आवेदनों/दायर अपीलों/प्राप्त शुल्क का विवरण

क्रमांक	सरकारी विभाग का नाम	प्राप्त आवेदनों की संख्या	जितने मामले जन सूचना अधिकारियों द्वारा रद्द किए गए	प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास दायर अपीलें	राज्य सूचना आयोग के पास दायर अपीलें	ऐसे मामले जहां आयोग द्वारा क्षतिपूर्ति के आदेश दिए	ऐसे मामले जहां आयोग द्वारा जुर्माने के आदेश दिए	प्राप्त राशी रूपये
1.	राज्यपाल सचिवालय	20	----	1	1	----	----	720
2.	हि0प्र0 न्यायालय	2327	5	17	----	----	----	169012
3.	राज्य सूचना आयोग	30	----	----	-----	-----	-----	950
4.	लोकायुक्त	16	----	----	----	----	----	160
5.	मानवाधिकार आयोग	5	----	----	----	----	----	140
6.	पिछड़ी जाति आयोग	2	----	----	----	----	----	110
7.	मण्डलायुक्त, शिमला	34	----	----	----	----	----	1464

8.	मण्डलायुक्त, कांगडा	92	----	----	----	----	----	4127
9.	मण्डलायुक्त ,मण्डी	86	----	3	----	----	----	3885
10.	महाधिवक्ता	26	----	4	----	----	----	900
11.	हि0 प्र0 न्यायिक अकादमी	3	----	----	----	----	----	120
12.	लोक सेवा आयोग	932	----	67	14	----	----	30128
13.	निर्वाचन आयोग	6	----	1	----	----	----	50
14.	हि0 प्र0 कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर	1091	202	65	3	----	----	48000
हि0प्र0 सचिवालय								
15.	सामान्य प्रशासन	105	----	----	----	----	----	2389
16.	शहरी निकाय	28	----	----	----	----	----	780
17.	राजस्व	239	----	----	1	----	----	7379
18.	वन	72	----	----	----	----	----	5503
19.	सहकारिता	12	----	----	2	----	----	510
20.	कल्याण	62	----	1	----	----	----	600
21.	विधि	35	----	1	----	----	----	550
22.	प्रशासनिक सुधार	13	----	1	----	----	----	100
23.	आयुर्वेदा	20	----	----	----	----	----	440
24.	श्रम एवं रोजगार	23	----	1	1	----	----	870
25.	पशुपालन	21	----	----	----	----	----	470
26.	प्रारम्भिक शिक्षा	171	----	5	1	----	----	2489
27.	आवास	1	----	----	----	----	----	20
प्रशासनिक विभाग								
28.	पशुपालन	206	1	6	----	----	----	13466
29.	भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग	30	----	----	1	----	----	1173
30.	सहकारिता	767	6	33	7	1	----	36501
31.	प्रारम्भिक शिक्षा विभाग	2666	----	84	21	1	----	54383
32.	उच्च शिक्षा विभाग	6625	41	142	32	2	1	52758

33.	आयुर्वेदा	239	----	1	----	----	----	4538
34.	सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग	55	2	5	----	----	----	2170
35.	जल शक्ति	2340	7	121	15	----	----	69510
36.	लोक निर्माण विभाग	3778	15	126	35	2	1	118485
37.	सूचना प्रौद्योगिकी	21	----	----	----	----	----	450
38.	दन्त स्वास्थ्य सेवाएं	49	----	----	----	----	----	930
39.	स्वास्थ्य एवं कल्याण	467	----	21	14	----	----	8403
40.	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	342	----	8		----	----	18773
41.	वन	2411	4	64	17	1	----	54452
42.	राज्य न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला	38	1	1	1	----	----	2936
43.	पुलिस	7535	82	179	26	----	----	181886
44.	परिवहन	792	1	28	12	----	----	29169
45.	बागवानी	122	----	7	----	----	----	4957
46.	उद्योग	677	----	18	4	----	----	21631
47.	आबकारी एवं कराधान	520	8	14	7	----	----	
48.	सैनिक कल्याण विभाग	121	----	4	----	----	----	2983
49.	सतर्कता विभाग	23	----	4	----	----	----	750
50.	राज्य अन्वेषण एवं भ्रष्टाचार निरोधक विभाग	316	14	16	1	----	----	5162
51.	सांख्यिकी एवं आर्थिक	18	----	----	----	----	----	520
52.	भू समेकन	35	----	----	----	----	----	690
53.	भू अभिलेख	58	----	----	----	----	----	840
54.	श्रम एवं रोजगार	707	----	30	2	----	----	28658
55.	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज	2905	11	144	62	2	1	274389
56.	भू व्यवस्था (शिमला)	277	9	----	----	----	----	15939
57.	भू व्यवस्था (कांगडा)	576	----	11	----	----	----	17260
58.	मुद्रण एवं लेखन	20	----	----	----	----	----	1596

59.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	256	----	11	----	----	----	4020
60.	पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन	236	----	----	----	----	----	9826
61.	लोक प्रशासन संस्थान	39	----	2	----	----	----	2360
62.	महिला एवं बाल विकास	783	----	10	4	----	----	18473
63.	अग्निशमन	35	----	1	----	----	----	2072
64.	शहरी विकास	1551	----	56	8	1	----	30911
65.	योजना	130	----	1	----	----	----	5048
66.	विद्युत निरीक्षणालय	3	----	----	----	----	----	70
67.	मत्सय	32	----	1	----	----	----	1195
68.	निर्वाचन	128	----	----	1	----	----	2075
69.	लोकल ऑडिट	7	1	3	3	----	----	760
70.	गृह रक्षा	144	----	----	----	----	----	4834
71.	तकनीकी शिक्षा	383	----	13	----	----	----	13204
72.	उर्जा	47	----	----	----	----	----	6465
जिलाधीश कार्यालय								
73.	बिलासपुर	1609	----	78	5	1	----	33968
74.	चम्बा	866	----	29	6	----	----	13506
75.	हमीरपुर	1472	23	61	18	----	1	30757
76.	कांगडा	3239	----	109	30	----	----	56481
77.	किन्नौर	270	----	----	2	1	----	9800
78.	कुल्लू	922	----	9	4	----	----	107982
79.	मण्डी	2335	60	61	14	----	----	40864
80.	शिमला	1347	----	113	12	----	----	27521
81.	सिरमौर	590	----	10	5	----	----	10776
82.	सोलन	1354	5	97	9	----	----	22476
83.	ऊना	1084	04	14	3	----	----	19190
84.	लाहौल एवं स्पिति	65	----	2	----	----	----	430
निगम								


85.	हथकरघा एवं हस्तशिल्प	5	----	----	----	----	----	440
86.	एग्रो इण्डस्ट्रीज	5	----	----	----	----	----	250
87.	वित्त निगम	33	----	----	----	----	----	2751
88.	वन निगम	586	----	28	2	----	----	16783
89.	एच0पी0एम0सी0	8	----	----	----	----	----	220
90.	हि0 प्र0 इलैक्ट्रॉनिक विकास निगम	11	----	----	----	----	----	490
91.	नगर निगम शिमला	905	----	112	15	----	----	18474
92.	नगर निगम धर्मशाला	209	----	19	9	----	----	4810
93.	सामान्य उद्योग	28	----	5	----	----	----	2090
94.	पर्यटन विकास निगम	265	----	9	----	----	1	6420
95.	हि0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम	12	----	2	----	----	----	1910
96.	जल प्रबन्धन निगम	131	----	15	----	----	----	1086
97.	हि0 पथ परिवहन निगम	615	----	30	15	1	----	6422
बोर्ड								
98.	अधोसंरचना विकास विभाग	2	----	----	----	----	----	20
99.	हिमुडा	274	----	14	3	----	----	9657
100.	तकनीकी शिक्षा बोर्ड	54	----	----	----	----	----	2520
101.	हिम उर्जा	45	----	1	----	----	----	1010
102.	खादी एवं ग्रामोद्योग	53	----	1	----	----	----	2688
103.	कौशल विकास निगम	3	----	----	----	----	----	100
विश्वविद्यालय								
104.	हि0प्र0 विश्वविद्यालय शिमला	1336	7	23	3	----	----	25789
105.	डा0 यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय	93	6	3	1	----	----	5169
106.	कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर	289	----	7	----	----	----	7354
107.	इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय	136	----	13	3	----	----	3621
	कुल	64233	515	2197	455	13	5	1902362

2 उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि अस्वीकृत किए गए 515 मामलों के अलावा विभिन्न सार्वजनिक प्राधिकरणों के जन सूचना अधिकारियों द्वारा सभी आवेदकों को अपेक्षित सूचना भेज दी गई है। इस प्रकार राज्य में कुल आवेदनों के 0.8 प्रतिशत मामले ही रिपोर्ट के अनुसार अस्वीकृत किए गए।

3. सार्वजनिक प्राधिकरणों ने यह भी उल्लेख किया है कि 515 आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8 के अधीन अस्वीकृत किए गए हैं। इस अध्याय का विवरण यह दर्शाता है कि प्रथम अपीलों की संख्या कुल आवेदनों के 3.4 प्रतिशत से भी कम रही। नामित अपीलीय प्राधिकारियों के पास दायर कुल 2197 प्रथम अपीलों के विरुद्ध हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग को मात्र 455 अपीलें प्राप्त हुई हैं। इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान जन सूचना अधिकारियों से सूचना प्राप्त न होने या विलम्ब से प्रत्युत्तर मिलने सम्बन्धी 63 शिकायतें भी आयोग को प्राप्त हुईं। इस प्रकार वर्ष के दौरान विभिन्न जन प्राधिकारियों के पास दायर कुल 64233 सूचना का अधिकार आवेदनों के विरुद्ध कुल 518 अपीलें/शिकायतें आयोग को प्राप्त हुई हैं। इस प्रकार आयोग में कुल आवेदनों की लगभग 0.8 प्रतिशत अपीलें/शिकायतें प्राप्त हुईं। इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि रिपोर्टाधीन वर्ष 2018-19 के दौरान सूचना मांगने वालों के आवेदनों पर राज्य के जन सूचना अधिकारियों की कार्रवाई संतोषजनक रही है।

4 वर्ष 2018-19 के दौरान प्राप्त आवेदनों की विवरण सारणी निम्न है :-

(i) सार्वजनिक प्राधिकरणों की संख्या जिन्हें 1000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए	18
(ii) सार्वजनिक प्राधिकरण जिन्हें 501 से 1000 तक आवेदन प्राप्त हुए	14
(iii) सार्वजनिक प्राधिकरण जिन्हें 101 से 500 तक आवेदन प्राप्त हुए	24
(iv) सार्वजनिक प्राधिकरण जिन्हें 100 से कम आवेदन प्राप्त हुए	51
सार्वजनिक प्राधिकरणों की कुल संख्या जिन्हें आवेदन प्राप्त हुए	107



कुल प्राप्त आवेदन

5. कुल 107 सार्वजनिक प्राधिकरणों में से 18 सार्वजनिक प्राधिकरणों को 1000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, 14 सार्वजनिक प्राधिकरणों को (प्रत्येक को) 501 से 1000 तक आवेदन प्राप्त हुए, 24 सार्वजनिक प्राधिकरणों (प्रत्येक को) 101 से 500 आवेदन प्राप्त हुए तथा शेष 51 सार्वजनिक प्राधिकरणों को इस वर्ष के दौरान (प्रत्येक को) 100 से कम आवेदन प्राप्त हुए। इस वर्ष के दौरान 18 विभागों में जोकि हि0 प्र0 न्यायालय, हि0 प्र0 कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, जल शक्ति विभाग, लोक निर्माण विभाग, वन, पुलिस, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शहरी विकास विभाग, हि0प्र0 विश्वविद्यालय शिमला, उपायुक्त कार्यालय बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मण्डी, शिमला, सोलन, ऊना में 1000 से ज्यादा आवेदन प्राप्त किए गए। यह पाया गया कि 64233 आवेदनों में से 62699 आवेदन जोकि कुल प्राप्त आवेदनों का 97.6 प्रतिशत है को 56 सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा प्राप्त किया गया। शेष 51 सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा कुल आवेदनों का 2.4 प्रतिशत से भी कम आवेदन प्राप्त किए गए थे। इसी अवधि के दौरान विभिन्न सार्वजनिक प्राधिकरणों को 19,02,362 रुपये का शुल्क प्राप्त हुआ।

अध्याय-6

पिछले चौदह वर्षों के दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। सार्वजनिक प्राधिकरणों ने इस अधिनियम के कुछ प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही आरम्भ कर दी थी जैसे कि जन सूचना अधिकारी, सहायक जन सूचना अधिकारी तथा अपीलीय प्राधिकारी को नामित करना तथा धारा 4 (1)(बी) के अन्तर्गत प्रकटीकरण करना। जन सूचना अधिकारियों तथा सहायक जन सूचना अधिकारियों ने सूचना आयोग जिसका गठन 1.3.2006 को हुआ था से पहले ही आवेदकों का आवेदन प्राप्त करना आरम्भ कर दिया था। सार्वजनिक प्राधिकरणों में अक्टूबर 2005 से 2018-19 तक प्राप्त सूचना का अधिकार आवेदन, प्रथम अपीलें तथा प्राप्त फीस का विवरण:

वर्ष	सार्वजनिक प्राधिकरणों की संख्या	कुल प्राप्त आवेदकों की संख्या	जन सूचना अधिकारी द्वारा रदद किए गए आवेदन	अपीलीय प्राधिकारी द्वारा प्राप्त प्रथम अपीलों की संख्या	प्राप्त राशि
2006-07	110	2,654	119	127	2,34,281
2007-08	118	10,105	283	267	6,00,495
2008-09	124	17,869	259	338	8,07,939
2009-10	134	43,835	442	706	10,89,504
2010-11	125	55,463	701	1220	14,32,417
2011-12	132	72,191	840	1381	19,56,046
2012-13	110	61,202	1396	1232	14,45,954
2013-14	110	63,722	1074	1716	14,98,202
2014-15	80	50675	2143	635	11,14,962
2015-16	62	46430	684	1558	10,02,958
2016-17	101	60,104	1981	1899	14,69,999
2017-18	103	59,529	3737	1623	13,60,248
2018-19	107	64,233	515	2197	19,02,362

2 उपरोक्त विवरण यह दर्शाता है कि विभिन्न सार्वजनिक प्राधिकरणों में पिछले चौदह वर्षों के दौरान प्रथम वर्ष से चौदह वर्ष तक 2654 आवेदनों की अपेक्षा 64233 आवेदन प्राप्त हुए। इस प्रकार इन मामलों में 24 गुणा बढ़ौतरी हुई। यह तथ्य दर्शाता है कि लोगों में वर्ष प्रति वर्ष इसके प्रति जागरूकता बढ़ी है। जन सूचना अधिकारी द्वारा आवेदनों की खारिज करने की प्रतिशतता में वर्ष प्रति वर्ष कमी आई है। जन सूचना अधिकारियों की प्रतिक्रिया भी इन वर्षों में सकारात्मक रही है।

3 राज्य सूचना आयोग द्वारा 1 मार्च 2006 से 31.03.2019 तक प्राप्त अपीलों का विवरण निम्नलिखित है :-

कुल प्राप्त तथा निर्णित अपीलें 01.03.2006 से 31.03.2019 तक					
अवधि	वर्ष के आरम्भ में लम्बित	वर्ष के दौरान प्राप्त	कुल अपीलें	वर्ष के दौरान निर्णित	वर्ष के अन्त में लम्बित
1.3.2006 से 31.3.2007	----	32	32	24	8
1.4.2007 से 31.3.2008	8	155	163	125	38
1.4.2008 से 31.3.2009	38	180	218	195	23
1.4.2009 से 31.3.2010	23	270	293	276	17
1.4.2010 से 31.3.2011	17	300	317	277	40
1.4.2011 से 31.3.2012	40	451	491	379	112
1.4.2012 से 31.3.2013	112	427	539	429	110
1.4.2013 से 31.3.2014	110	670	780	522	258
1.4.2014 से 31.3.2015	258	615	873	638	235
1.4.2015 से 31.3.2016	235	635	870	534	336
1.4.2016 से 31.3.2017	336	428	764	236	528
1.4.2017 से 31.3.2018	528	425	953	537	416
1.4.2018 से 31.3.2019	416	455	871	605	266
कुल		5043		4777	


4 आयोग में प्राप्त 01.03.2006 से 31.03.2019 तक शिकायतों का विवरण निम्नलिखित है:—

कुल प्राप्त तथा निर्णित शिकायतें 01.03.2006 से 31.03.2019 तक					
अवधि	वर्ष के आरम्भ में लम्बित	वर्ष के दौरान प्राप्त	कुल शिकायतें	वर्ष के दौरान निर्णित	वर्ष के अन्त में लम्बित
1.3.2006 से 31.3.2007	-----	52	52	47	5
1.4.2007 से 31.3.2008	5	134	139	105	34
1.4.2008 से 31.3.2009	34	204	238	221	17
1.4.2009 से 31.3.2010	17	445	462	418	44
1.4.2010 से 31.3.2011	44	503	547	526	21
1.4.2011 से 31.3.2012	21	770	791	622	169
1.4.2012 से 31.3.2013	169	693	862	767	95
1.4.2013 से 31.3.2014	95	43	138	119	19
1.4.2014 से 31.3.2015	19	44	63	47	16
1.4.2015 से 31.3.2016	16	67	83	55	28
1.4.2016 से 31.3.2017	28	13	41	26	15
1.4.2017 से 31.3.2018	15	26	41	23	18
1.4.2018 से 31.3.2019	18	63	81	62	19
कुल		3057		3038	

5 आयोग में प्राप्त अपीलों तथा शिकायतों का 1 मार्च 2006 से 2018-19 तक का विवरण निम्नलिखित है:—

आयोग में वर्षवार प्राप्त तथा निर्णित अपीलों तथा शिकायतों का ब्यौरा					
अवधि	वर्ष के आरम्भ में लम्बित	वर्ष के दौरान प्राप्त	कुल	वर्ष के दौरान निर्णित	वर्ष के अन्त में लम्बित
1.3.2006 से 31.3.2007	-	84	84	71	13
1.4.2007 से 31.3.2008	13	293	306	234	72

1.4.2008 से 31.3.2009	72	388	460	420	40
1.4.2009 से 31.3.2010	40	715	755	694	61
1.4.2010 से 31.3.2011	61	803	863	803	61
1.4.2011 से 31.3.2012	61	1221	1282	1001	281
1.4.2012 से 31.3.2013	281	1120	1401	1196	205
1.4.2013 से 31.3.2014	205	713	918	641	277
1.4.2014 से 31.3.2015	277	659	936	685	251
1.4.2015 से 31.3.2016	251	702	953	589	364
1.4.2016 से 31.3.2017	364	441	805	262	543
1.4.2017 से 31.3.2018	543	451	994	560	434
1.4.2018 से 31.3.2019	434	518	952	667	285
कुल		8108		7823	



6 उपरोक्त विवरण के अनुसार वर्ष 2006-07 में कुल 84 अपीलें और शिकायतें राज्य सूचना आयोग में प्राप्त हुई जो कि कुल आवेदन पत्रों 2654 का लगभग 3.2 प्रतिशत है । वर्ष 2007-2008 के अन्तर्गत 293 अपीलें और शिकायतें अपीलकर्ताओं/शिकायकर्ताओं से, 10105 सूचना का अधिकार आवेदन जोकि सार्वजनिक प्राधिकरणों में प्राप्त हुए हैं, कि अपेक्षा में प्राप्त की गई जोकि कुल प्राप्त आवेदनों का 2.8 प्रतिशत है । वर्ष 2008-2009 के अन्तर्गत 388 अपीलें और शिकायतें अपीलकर्ताओं/शिकायकर्ताओं से , 17869 सूचना का अधिकार आवेदन जोकि

अपीलकर्ताओं/शिकायतकर्ताओं से 64233 सूचना का अधिकार आवेदन जोकि सार्वजनिक प्राधिकरणों में प्राप्त हुए हैं कि अपेक्षा में प्राप्त की गई है जोकि कुल प्राप्त आवेदनों का लगभग 0.8 प्रतिशत है। यह दर्शाती है कि जन सूचना अधिकारियों के कार्य सम्पादन में पिछले 14 वर्षों में वर्ष प्रति वर्ष साकारात्मक बदलाव आया है ।

7. पिछले 14 वर्षों में आयोग द्वारा 7823 अपीलों और शिकायतों का निपटान किया गया। 62 सिविल रिट याचिका हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में हिमाचल प्रदेश सूचना आयोग के द्वारा निर्णित मामलों के विरुद्ध में दायर की गई । दायर की गई सिविल रिट याचिकाओं का विवरण निम्नलिखित है :-

क्रम संख्या	मामले का शीर्षक/ मामले की संख्या	स्थिति
1	हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग बनाम राज्य सूचना आयोग सी०डबल्यू०पी०-96/09	निर्णित
2	हिमाचल प्रदेश सरकार बनाम श्री सुरेन्द्र सिंह मनकोटिया सी०डबल्यू०पी०-3823/2009	निर्णित
3	हिमाचल प्रदेश सरकार बनाम डा० पी०के० आदित्य सी०डबल्यू०पी०-2418/2010	उच्च न्यायालय में लम्बित
4	जस्टिस एम० आर० वर्मा (सेवानिवृत्त) बनाम राज्य सूचना आयोग सी०डबल्यू०पी०-2070/2010	निर्णित
5	जस्टिस एम० आर० वर्मा (सेवानिवृत्त) बनाम राज्य सूचना आयोग सी०डबल्यू०पी०-1964/2010	निर्णित
6	हिमाचल प्रदेश सरकार बनाम श्री संजय गुप्ता, आई०ए०एस० सी०डबल्यू०पी०-1050/2010	निर्णित
7	सुश्री कल्पना ग्रोवर बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार सी०डबल्यू०पी०-4632/2010	निर्णित
8	श्री संजय मण्ड्याल बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार सी०डबल्यू०पी०-5418/2010	निर्णित
9	श्रीमती राम प्यारी बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार सी०डबल्यू०पी०-6404/2010	निर्णित
10	श्री राम आसरा बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार सी०डबल्यू०पी०-7462/2010	निर्णित
11	हिमाचल प्रदेश सरकार बनाम अर्चित सन्त और अन्य सी०डबल्यू०पी०-7767/2010	निर्णित
12	श्री धर्मपाल बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार सी०डबल्यू०पी०-2446/2010	निर्णित
13	सचिव लोकायुक्ता बनाम हरि सिंह तथा अन्य	निर्णित

	सी०डबल्यू०पी०-533 / 2011	
14	रितविक चौहान बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार सी०डबल्यू०पी०-1910 / 2011	निर्णित
15	सी०डबल्यू०पी०-8794 / 2011 श्री वेद प्रकाश बनाम राज्य सूचना आयोग तथा अन्य	निर्णित
16	सी०डबल्यू०पी०-11220 / 2011 मै० कन्चनजंगा पावर कम्पनी लि० बनाम राज्य सूचना आयोग	निर्णित
17	सी०डबल्यू०पी०-1240 / 2010 श्री स्वप्न कुमार बनाम राज्य सूचना आयोग तथा अन्य	निर्णित
18	सी०डबल्यू०पी०-640 / 2012 श्री संजय हिण्डवान बनाम राज्य सूचना आयोग, डी०एफ०ओ०, सोलन तथा ई०ओ०, एम०सी०, सोलन	निर्णित
19	सी०डबल्यू०पी०-2435 / 2012 दी डीडवान सहकारी समिति बनाम हि०प्र० सरकार	निर्णित
20	सी०डबल्यू०पी०-6072 / 2012 खण्ड विकास अधिकारी पांवटा साहिब बनाम हि०प्र० सरकार	निर्णित
21	सी०डबल्यू०पी०-9166 / 2012 श्री प्रकाश चन्द नेगी बनाम राज्य सूचना आयोग	निर्णित
22	सी०डबल्यू०पी०-9210 / 2012 श्री प्रकाश चन्द नेगी बनाम राज्य सूचना आयोग	निर्णित
23	सी०डबल्यू०पी०-8196 / 2012 बाघल लैण्ड लूजर ट्रांसपोर्ट सहकारी सभा समिति बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार	निर्णित
24	सी०डबल्यू०पी०-9109 / 2012 अम्बुजा दाडला कशलोग मांगू ट्रांसपोर्ट सहकारी सभा समिति बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार	निर्णित
25	सी०डबल्यू०पी०-5975 / 2012 पी०सी० मन्हास बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार	निर्णित
26	सी०डबल्यू०पी०-63 / 2013 वौलेनटियर हैलथ ऐसोसिएशन बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार	उच्च न्यायालय में लम्बित
27	सी०डबल्यू०पी०-798 / 2013 अंजला कुमारी बनाम राज्य सूचना आयोग	निर्णित
28	सी०डबल्यू०पी०-4618 / 2013 इंद्रेश धिमान बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार	उच्च न्यायालय में लम्बित
29	सी०डबल्यू०पी०-6914 / 2013 राजेश चन्द्रा बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार	उच्च न्यायालय में लम्बित
30	सी०डबल्यू०पी०-7167 / 2013 तनु प्रिया बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार	निर्णित
31	सी०डबल्यू०पी०-7834 / 2013 श्यामलाल बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार	निर्णित
32	सी०डबल्यू०पी०-6537 / 2013 फूल सिंह बनाम	निर्णित

	हिमाचल प्रदेश सरकार	
33	सी0डबल्यू0पी0-8900 / 2013 अमर सिंह बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार	उच्च न्यायालय में लम्बित
34	सी0डबल्यू0पी0-9139 / 2013 महाधिवक्ता बनाम देवाशीश भट्टाचार्य	निर्णित
35	सी0डबल्यू0पी0-9108 / 2013 मधू नेगी बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार	निर्णित
36	सी0डबल्यू0पी0-294 / 2014 रवी कुमार बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार	निर्णित
37	सी0डबल्यू0पी0-2242 / 2014 हिरा सिंह बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार	निर्णित
38	सी0डबल्यू0पी0-5410 / 2014 हितेश चंद बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार	निर्णित
39	सी0डबल्यू0पी0-5434 / 2014 राजेश ठाकुर बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार	उच्च न्यायालय में लम्बित
40	सी0डबल्यू0पी0-6572 / 2014 योग राज बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार	निर्णित
41	सी0डबल्यू0पी0-8511 / 2014 अजय पराशर बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार	निर्णित
42	सी0डबल्यू0पी0-555 / 2015 लवण ठाकुर बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार	निर्णित
43	सी0डबल्यू0पी0-1367 / 2015 शेखर एस श्रीवास्तवा बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार	निर्णित
44	सी0डबल्यू0पी0-684 / 2015 रोशन लाल व अन्य बनाम राज्य सूचना आयोग	निर्णित
45	सी0डबल्यू0पी0-3034 / 2015 जगदीश कुमार बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार	निर्णित
46	सी0डबल्यू0पी0-3144 / 2015 प्रियंका गांधी बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार	उच्च न्यायालय में लम्बित
47	सी0डबल्यू0पी0-3625 / 2015 विक्रम सिंह बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार	उच्च न्यायालय में लम्बित
48	सी0डबल्यू0पी0-3767 / 2015 रमेश कुमार नड्डा बनाम राज्य सूचना आयोग	उच्च न्यायालय में लम्बित
49	सी0डबल्यू0पी0-4272 / 2015 राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाम राज्य सूचना आयोग	उच्च न्यायालय में लम्बित
50	सी0डबल्यू0पी0-385 / 2016 संगीता देवी बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार	उच्च न्यायालय में लम्बित
51	सी0डबल्यू0पी0-3450 / 2016 सुखजीत सिंह बनाम राज्य मुख्य सूचना आयुक्त	निर्णित
52	सी0डबल्यू0पी0-1731 / 2016 निहाल सिंह बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार	निर्णित
53	सी0डबल्यू0पी0-2288 / 2016 शमशेर सिंह	निर्णित

	बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार	
54	सी०डबल्यू०पी०-1879/2016 के० आर० सैजल बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार	उच्च न्यायालय में लम्बित
55	सी०डबल्यू०पी०-1714/2017 मदन लाल शर्मा बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार	निर्णित
56	सी०डबल्यू०पी०-2728/2017 राजेन्द्र सिंह बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार	निर्णित
57	सी०डबल्यू०पी०-351/2018 नारायण मिश्रा बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार	निर्णित
58	सी०डबल्यू०पी० 2033/2018 यशपाल सिंह बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार	उच्च न्यायालय में लम्बित
59	सी०डबल्यू०पी० 1106/2018 प्रताप सिंह बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार	उच्च न्यायालय में लम्बित
60	सी०डबल्यू०पी० 1350/2018 डॉ० सुखजीत सिंह बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार	उच्च न्यायालय में लम्बित
61	सी०डबल्यू०पी० 3003 – 3004/2018 हिमेंदर कुमार बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार एवं अन्य	उच्च न्यायालय में लम्बित
62	सी०डबल्यू०पी० 78/2019 डी०ए०वी० सेंटनरी पब्लिक स्कूल, टियोग बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार	उच्च न्यायालय में लम्बित

अध्याय –7

सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग तथा सूचना आयोग द्वारा नई पहल

हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग द्वारा आयोग की वेबसाइट (sic.hp.gov.in/) पर भी निम्न सूचना उपलब्ध करवाई गई है :-

- (i) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 एवं हि0 प्र0 सूचना का अधिकार नियम, 2006 ।
 - (ii) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(ख) के अन्तर्गत राज्य सूचना आयोग की नियमावली ।
 - (iii) हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग (प्रबन्धन) विनियमन, 2008 ।
 - (iv) अपीलों तथा शिकायतों के निर्णय जो हिमाचल प्रदेश सूचना आयोग में दायर की गई थी ।
 - (v) अपीलों तथा शिकायतों की वाद सूची ।
 - (vi) पिछले वर्षों के वार्षिक प्रतिवेदन ।
2. राज्य सूचना आयोग द्वारा अपीलों/शिकायतों, जन सूचना अधिकारियों तथा लोक प्राधिकारियों से प्राप्त पत्रों के पंजीकरण को कम्प्यूटराईज्ड किया गया है। जिसको करने से आयोग तथा जन समूहों को अपनी अपीलों/शिकायतों की प्राप्ति एवं दिन प्रतिदिन की प्रक्रिया का और निर्णयों की जानकारी तुरन्त प्राप्त हो जाती है । इसके द्वारा आयोग में प्राप्त आवेदकों, शिकायतकर्ताओं, अपीलकर्ताओं तथा अन्य नागरिकों से प्राप्त पत्रों की समीक्षा एवं वर्गीकरण करने के पश्चात् शिकायत (सी), अपील (ए), प्रतीउत्तर (आर) और सामान्य पत्र (जी0) को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है :

1	अपील	‘ए’	हि0 प्र0 सूचना का अधिकार नियम/सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19 के अन्तर्गत नागरिकों/आवेदकों द्वारा दायर की गई अपीलें ।
2	शिकायतें	‘सी’	हि0 प्र0 सूचना का अधिकार नियम/सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 18 के अन्तर्गत नागरिकों/आवेदकों द्वारा दायर की गई शिकायतें ।
3	प्रतीउत्तर	‘आर’	आयोग में प्राप्त प्रतीउत्तर जोकि जांच/अपीलों के सन्दर्भ में जन सूचना अधिकारियों/अन्य अधिकारियों, नागरिकों से प्राप्त किए जाते हैं, जिन्हें सम्बन्धित कोर्ट के रीडर को अग्रेषित किए जाते हैं ।
4	सामान्य पत्र	‘जी’	क्रम सं0 1,2 एवं 3 के पत्रों के अतिरिक्त

			प्राप्त पत्रों को 'जी' दर्शाया जाता है जिन्हें आयोग की सामान्य शाखा को निष्पादन हेतु अग्रेषित किया जाता है ।
--	--	--	--

इस सॉफ्टवेयर की सहायता से आयोग में प्राप्त प्रत्येक पत्र को पारदर्शिता तथा तुरन्त निष्पादन करने में सहायता मिलती है ।

3. राज्य सूचना आयोग, हिमाचल प्रदेश ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम स्थापित किया है जो अपीलकर्ता/जन सूचना अधिकारियों को शिमला में राज्य सूचना आयोग के कार्यालय की यात्रा की अतिरिक्त लागत के बिना सुनवाई में भाग लेने की सुविधा प्रदान कर रहा है और साथ ही उनके किमती समय की बचत करते हुए उन्हें कार्यालय के काम के लिए ऐसी अवधि समर्पित करने में सक्षम बनाता है । आवेदक/अपीलकर्ता की सक्रिय भागीदारी भी अधिनियम के बेहतर कार्यान्वयन को प्रोत्साहित कर रही है ।
4. राज्य सूचना आयोग द्वारा सूचना प्राप्त करने वाले आवेदकों की सुविधा लिए मण्डल स्तर पर समय-समय पर अपीलों तथा शिकायतों की सुनवाई की जाती है। यह कदम आवेदकों को सूचना आयोग के कार्यालय शिमला में आने के खर्चों से राहत दिलवाता है। आवेदकों की सक्रिय भागीदारी सूचना का अधिकार अधिनियम को कार्यान्वयन करने में बहुत सहायक है।
5. सूचना आयोग, प्रशासनिक सुधार विभाग, हि0प्र0 लोक प्रशासन सस्थान शिमला तथा जिलों के प्रशासन के तालमेल से हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों में प्रथम अपीलीय अधिकारियों, जन सूचना अधिकारियों, पंचायत के निर्वाचित जन प्रतिनिधियों, शहरी निकाय के प्रतिनिधियों, महिला मण्डल/ युवक मण्डल के प्रतिनिधियों तथा पत्रकारों के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों, आवेदन करने की प्रकिया तथा सूचना प्रदान करने बारे कार्यशालाओं का आयोजन किया गया जो कि प्रभावी व सफल सिद्ध हुई है।

अध्याय-8

अभिमत एवं संस्तुतियां / सिफारिशें

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 25 (1) के अधीन पिछले वर्षों सौंपी गई रिपोर्टों में, राज्य सरकार के अधीन विभिन्न सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के सुचारू तथा प्रभावी क्रियान्वयन हेतु हिमाचल प्रदेश सूचना आयोग द्वारा कुछ संस्तुतियां की गई थी । राज्य सरकार द्वारा इन संस्तुतियों पर कार्रवाई की गई है । कुछ संस्तुतियों जिन पर आगामी कार्रवाई राज्य सरकार के स्तर पर अपेक्षित है, यह अभिमत तथा संस्तुतियों तालिका के रूप में सम्मिलित की जा रही है ।

क्रम संख्या	अभिमत एवं संस्तुतियां	की गई कार्रवाई की स्थिति
1.	<p>आयोग द्वारा अपनी प्रथम रिपोर्ट से तेरहवीं रिपोर्टों में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1)(ए) के उपबन्धों को कार्यान्वयन करने के लिए समयबध कार्यक्रमों को अन्तिम रूप देने के लिए संस्तुति की गई थी कि प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण निम्न कार्य करेंगे -</p> <ul style="list-style-type: none"> ● इसके समस्त रिकार्ड को व्यवस्थित, विधिवत रूप में इस क्रम से रखा जाए जिससे इस अधिनियम के अन्तर्गत सूचना की प्राप्ति सरल हो तथा ● सुनिश्चित किया जाए कि समस्त रिकार्ड जो कम्प्यूटरीकरण के लिए उपयुक्त है उसे समुचित समय तथा संसाधनों की उपलब्धि के अनुसार, कम्प्यूटरीकरण करवा दिया जाए ताकि नेटवर्क के माध्यम से देश की विभिन्न कम्प्यूटर पद्धतियों द्वारा ऐसे रिकार्ड को प्राप्त करने में सरलता हो । 	<p>इस संस्तुति पर प्रशासनिक सुधार विभाग ने विभिन्न विभागों को निर्देश जारी किए हैं और अधिकतर सार्वजनिक प्राधिकरणों ने इस पर अमल कर लिया है ।</p>
2.	<p>आयोग द्वारा अपनी प्रथम रिपोर्ट से तेरहवीं रिपोर्टों में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1)(बी)के उपबन्धों को कार्यान्वयन करने के लिए संस्तुति की गई थी लेकिन ज्यादातर सार्वजनिक प्राधिकरणों ने इस पर प्रकटीकरण नहीं दिया है। यह सार्वजनिक प्राधिकरणों की वैवसाइट देखने पर</p>	<p>इस संस्तुति पर प्रशासनिक सुधार विभाग ने विभिन्न विभागों को निर्देश जारी किए</p>

	सत्यापित किया जा सकता है । अतः प्रशासनिक सुधार विभाग को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (1)(बी) के कार्यान्वयन करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए तथा सभी राज्य के सार्वजनिक प्राधिकरणों को इसे कार्यान्वित करना चाहिए ।	हैं और अधिकतर सार्वजनिक प्राधिकरणों ने इस पर अमल कर लिया है ।
3.	आयोग द्वारा अपनी प्रथम रिपोर्ट से तेरहवीं रिपोर्टों में यह संस्तुति की गई थी । प्रशासनिक सुधार विभाग को चाहिए कि अधिनियम तथा हिमाचल प्रदेश सूचना का अधिकार नियम, 2006 के उपबन्धों को कार्यान्वयन के लिए सहायक जन सूचना अधिकारियों, जन सूचना अधिकारियों तथा अपीलीय अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए ठोस कदम उठाएं । राज्य में अधिकतर सहायक जनसूचना अधिकारियों, जन सूचना अधिकारियों और अपीलीय अधिकारियों जोकि ग्रामीण विकास विभाग, शिक्षा विभाग तथा अन्य उच्च विभागों द्वारा नामित किए गए हैं की संख्या को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान को ज्यादा प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित किया जाना चाहिए ।	हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान शिमला द्वारा जन सूचना अधिकारियों, अपीलीय प्राधिकारियों तथा राज्य सरकार के अन्य अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा कार्यशालाएं संचालित किए गए तथा अधिकारियों को आयोग की संस्तुति पर प्रशिक्षण दिया गया । सूचना का अधिकार अधिनियम की जन सूचना अधिकारियों व सहायक जन सूचना अधिकारियों को कम जानकारी होने के कारण तथा इसके प्रभावशाली परिपालना के लिए हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान ने प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या को बढ़ा दिया है ।
4.	सातवीं से तेरहवीं रिपोर्ट में यह संस्तुति की गई थी कि आयोग द्वारा यह पाया गया कि विभागों द्वारा अभिलेखों/नस्तियों का रखरखाव कार्यालय नियमावली के अनुसार नहीं किया गया है जबकि नस्तियों का विषयवार, टिप्पणी सहित और पत्राचार भाग को अलग से नस्ति में रखा जाना चाहिए । यहां तक कि अभिलेखों	इस संस्तुति पर प्रशासनिक सुधार विभाग ने विभिन्न विभागों को निर्देश जारी किए हैं और अधिकतर सार्वजनिक प्राधिकरणों ने इस पर अमल कर लिया है ।

	<p>का वर्गीकरण स्थायी एवं समयवार तथा पारदर्शिता के तौर पर नहीं रखा गया है । सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 (1) (अ) और (व) तथा कार्यालय नियमावली के अनुरूप नस्ति सूचि पंजी तथा गार्ड फाईल का रखरखाव नहीं किया गया है। जिस कारण सूचना प्राप्त करने वाले को सूचना देरी से प्रदान कल जा रही है । अतः प्रत्येक विभाग को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जाएं कि कार्यालय नियमावली के अनुरूप निश्चित समयसीमा के भीतर अभिलेखों/नस्तियों का रखरखाव किया जाए ।</p>	
<p>5.</p>	<p>आयोग की इससे पहले की रिपोर्टों में भी यह संस्तुति की गई थी कि प्रथम अपीलीय अधिकारियों तथा सार्वजनिक प्राधिकरणों के विभागाध्यक्षों को प्रशिक्षण एवं संवेदीकरण हेतु संस्तुति की गई थी।</p>	<p>हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान शिमला द्वारा अपीलीय प्राधिकारियों तथा राज्य सरकार के अन्य अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा कार्यशालाएं संचालित किए गए।</p>
<p>6.</p>	<p>प्रशासनिक सुधार विभाग से चतुर्थ रिपोर्ट से तेरहवीं रिपोर्ट में विभिन्न कार्यालयों में अवधिक निरीक्षण करने के लिए आग्रह किया गया था जिससे यह निश्चित किया जा सके कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उपबन्धों का कार्यान्वयन प्रभावशाली तरीके से किया जा रहा है तथा संस्तुतियों का कार्यान्वयन करने के लिए विभाग द्वारा कई विभागों को प्रशासनिक निर्देश दिए गए हैं । इसके अतिरिक्त, द्वितीय अपीलों/शिकायतों की सुनवाई के दौरान, आयोग ने पाया कि अधिकांश मामले आयोग में प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों के विरुद्ध दायर किए गए हैं क्योंकि</p>	<p>प्रशासनिक सुधार विभाग ने विभिन्न विभागों को निर्देश जारी किए हैं । हालांकि, इस संबंध में और ठोस कदम उठाए जाने की जरूरत है । साथ ही, प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों को प्रथम अपीलों का कुशलतापूर्वक निपटान करने की आवश्यकता है जिससे आयोग में शिकायतों और द्वितीय अपीलों को</p>

<p>अधिकांश मामलों में प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों ने प्रावधानों के अनुसार प्रथम अपील का निर्णय नहीं किया है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (6) के तहत निर्धारित समयावधि में या लिखित आदेश पारित करने और हि0 प्र0 सूचना का अधिकार नियम, 2006 (छठे संशोधन) के नियम 6(5) के अनुसार योग्यता के आधार पर अपील का निर्णय नहीं किया है। तथापि सूचना का अधिकार पंजीयो का निरीक्षण करना बहुत आवश्यक है जिससे आवेदनों तथा प्रथम अपीलों को समय पर निपटाया जा सके। इस प्रकार के कदम शिकायतों तथा द्वितीय अपीलों को आयोग में कम संख्या में दायर होने के लिए सहायक होंगे। परिणामस्वरूप प्रशासनिक सुधार विभाग सभी विभागों को यह निर्देश जारी करे कि वे सूचना का अधिकार अधिनियम व विनियमों को अपने नियमित निरीक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित करें व इसे अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के सामान्य निरीक्षण का हिस्सा बनाना सुनिश्चित करें।</p>	<p>दाखिल करने में कमी आयेगी। इससे सूचना चाहने वालों का कीमती समय और पैसा बचाने में मदद मिलेगी।</p>
<p>7. राज्य सूचना आयोग द्वारा छठी से तेरहवीं वार्षिक रिपोर्ट में यह संस्तुति की गई थी कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2 (जे) के अनुसार नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा किये गए कार्यों का निरीक्षण करने का अधिकार है लेकिन हि0 प्र0 सूचना का अधिकार नियम 2006 में निरीक्षण हेतु फीस लेने का तथा प्रक्रिया का कोई प्रावधान नहीं है। ये नियम अधिनियम की पूर्वोक्त धारा में परिकल्पित आवेदक द्वारा कार्य के निरीक्षण के संबंध में कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं करते हैं। अतः दुबारा यह संस्तुति की जाती है</p>	<p>इस सिफारिश पर प्रशासनिक सुधार विभाग ने हिमाचल प्रदेश सूचना का अधिकार नियम, 2006 के नियम 5 में आवश्यक संशोधन करने के लिए कानून विभाग के साथ मामला उठाया है और यह कानून विभाग के विचाराधीन है।</p>

	<p>कि हि0 प्र0 सूचना का अधिकार नियम, 2006 में उचित प्रावधान को सम्मिलित किया जाना चाहिए ताकि सूचना लेने वाला निर्धारित शुल्क देने के उपरान्त राज्य के सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा किए गए कार्यों का निरीक्षण कर सके ।</p>	
<p>8.</p>	<p>आयोग के स्तर पर विभिन्न सुनवाईयों के दौरान यह अनुभव किया गया है कि विभिन्न सार्वजनिक प्राधिकारियों द्वारा ऐसे जन सूचना अधिकारी को नामित किया है जो अधिकारी स्तर की श्रेणी में नहीं हैं । उदाहरण के लिए पंचायती राज विभाग में पंचायत सचिव वर्ग-III कर्मचारियों को जन सूचना अधिकारी नामित किया गया है । ज्यादातर पंचायत सचिव संविदा के आधार पर हैं जोकि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 5 (1) का उल्लंघन है जबकि जन सूचना अधिकारी एक अधिकारी वर्ग से संबन्धित होना चाहिए । तत्काल संदर्भ के लिए अधिनियम के तहत धारा 5 (1) यह दर्शाती है :</p> <p>धारा-5 (1) "प्रत्येक लोक प्राधिकारी, इस अधिनियमन के सौ दिन के भीतर सभी प्रशासनिक एककों या उसके अधीन कार्यालयों में, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों या राज्य सूचना अधिकारियों के रूप में उतने अधिकारियों को अभिहित करेगा, जितने इस अधिनियम के अधीन सूचना के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्तियों को सूचना प्रदान करने के लिए आवश्यक हों।"</p> <p>अतः आयोग सिफारिश करता है कि राज्य सरकार सभी सार्वजनिक प्राधिकारियों को निर्देश दें कि जो भी जन सूचना अधिकारी नामित किए जाएं वह कम से कम</p>	<p>इस सिफारिश पर प्रशासनिक सुधार विभाग ने पंचायती राज विभाग के साथ मामला उठाया है, पंचायती राज विभाग ने जवाब में सूचित किया है कि पंचायत सचिव के अलावा पंचायत कार्यालय में कोई अन्य अधिकारी/कर्मचारी तैनात नहीं होता है और आगे कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जिसमें एक लोक प्राधिकरण के अधिकारी/कर्मचारी को दूसरे लोक प्राधिकरण के लोक सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सके ।</p>

<p>द्वितीय वर्ग के स्तर के अधिकारी हों और सरकार में स्थायी रूप में कार्यरत हों ताकि वे सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी से सूचना प्राप्त करने में सक्षम हों और उन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के अन्तर्गत किसी भी चूक/लागत के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सके ।</p>	
--	--

इसलिए उक्त क्रम सं० 6 से 8 तक की सिफारिशों को फिर से दोहराया जाता है, अन्य सिफारिशों और टिप्पणियां निम्नानुसार है :-

आयोग सिफारिश करता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के बारे में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए प्राथमिकता के आधार पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएं जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी इस अधिनियम के प्रावधानों के प्रति जागरूक हो सकें।

आयोग द्वारा राज्य सरकार के सार्वजनिक प्राधिकरणों से वर्ष 2018-19 के दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आवेदकों से प्राप्त आवेदनों की प्रक्रिया के बारे में प्राप्त हुई रिपोर्टों का विश्लेषण किया गया जिसमें पाया गया कि कुल 64,233 आवेदन अधिनियम के अन्तर्गत सूचना लेने के लिए प्राप्त हुए जिनमें से मात्र 515 मामले जन सूचना अधिकारियों द्वारा अस्वीकृत किए गए। इसके अतिरिक्त नामित अपीलीय प्राधिकारियों के पास 2197 प्रथम अपीलें दायर हुई तथा 63 शिकायतें व 455 द्वितीय अपीलें आयोग में प्राप्त हुई। नामित अपीलीय प्राधिकारियों के पास इतनी कम मात्रा में प्राप्त प्रथम अपीलों तथा आयोग के पास दायर कम शिकायतों/द्वितीय अपीलों से जाहिर है कि राज्य में विभिन्न सार्वजनिक

प्राधिकरणों के जन सूचना अधिकारियों के प्रत्युत्तर से आवेदक आमतौर पर संतुष्ट रहे । आयोग के पास प्राप्त हुई अपीलें तथा शिकायतों का निर्णय करते हुए यह पाया गया कि अधिकतर शिकायतें तथा अपीलें जन सूचना अधिकारियों के विलम्ब से उत्तर प्राप्ति से सम्बन्धित थी । अधिकांश मामलों में विलम्ब का कारण जन सूचना अधिकारियों को सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों की जानकारी न होना पाया गया । इसके अतिरिक्त सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के कार्यक्षेत्र के बारे में आवेदकों को जानकारी न होना भी पाया गया । बड़ी संख्या में आवेदकों/अपीलकर्ताओं द्वारा राज्य सूचना आयोग से अपनी शिकायतों में सुधार की अपेक्षा भी की गई । मौजूदा सूचना/अभिलेखों से नागरिकों को सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा सशक्त बनाए रखना ही इस अधिनियम का सार है ।